मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

236
क्रमांक / /376/2013/20-1 भोपाल, दिनांक 15/2/2015

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम,
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत,
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
6. समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,

मध्यप्रदेश.

विषय :— संविदा शाला शिक्षक के नियोजन में विनियम 2002 के अनुसार उत्तीर्ण डी.एड./बी.एड योग्यताधारियों के संबंध में।

—0—

मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम 2005 तथा मध्यप्रदेश नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम 2005 की अनुसूची दो में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 2 एवं 3 के नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता का निर्धारण किया गया है। संविदा शाला शिक्षक के नियोजन में विनियम 2002 के अनुसार उत्तीर्ण डी.एड./बी.एड योग्यताधारियों के संबंध में पूर्व में जारी आदेश/निर्देशों को अधिकृमित करते हुये राज्य शासन निम्नलिखित अनुसार निर्देश जारी करती है :—

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2002 के प्रभावशील होने के दिनांक 13.11.2002 तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की संधोधित अधिसूचना दिनांक 30.11.2006 के मध्य डी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेशित आवेदक जिन्होंने किसी भी वर्ष डी.एड. का डिप्लोमा प्राप्त किया है, तथा उ.मा.वि. प्रमाण पत्र परीक्षा में जिन्होनें न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं वे संविदा शाला शिक्षक श्रेणी—3 के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होगें।
2. इसी प्रकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2002 के प्रभावशील होने के दिनांक 13.11.2002 तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की संधोधित अधिसूचना दिनांक 30.11.2006 के मध्य डी.एड/बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेशित आवेदक जिन्होंने किसी भी वर्ष डी.एड/बी.एड. की डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त की है, तथा स्नातक परीक्षा में जिनके द्वारा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं, वे संविदा शाला शिक्षक श्रेणी—2 के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होगें।
3. वर्ष 2002 के पूर्व डी.एड./बी.एड में प्रवेश हेतु एन.सी.टी.ई. के कोई निर्देश नहीं थे। अतः दिनांक 13.11.2002 के पूर्व डी.एड./बी.एड. योग्यताधारी अभ्यर्थियों को भी उ.मा.वि. प्रमाण पत्र परीक्षा/स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक धारित करने पर यथास्थिति संविदा शाला शिक्षक श्रेणी—2/श्रेणी—3 के पद पर नियुक्ति हेतु मान्य किया जायेगा।
4. उपरोक्तानुसार उल्लेखित डी.एड./बी.एड. योग्यताधारी अभ्यर्थियों के अलावा अन्य सभी डी.एड./बी.एड. योग्यताधारी अभ्यर्थियों को नियम 2005 की अनुसूची दो में

दिये गये प्रावधानअनुसार उ.मा.वि. प्रमाण पत्र परीक्षा/स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक धारित करने पर यथास्थिति संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2/श्रेणी–3 के पद पर नियुक्ति हेतु मान्य किया जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

15/02/13

(एल.एल. राजौरिया)
अवर सचिव
म.प्र शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठा क्रमांक 237/376/2013/20-1
भोपाल, दिनांक 15/02/2013

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण,संचालनालय म.प्र. भोपाल।
5. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल।
6. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

15/02/13

अवर सचिव
म.प्र शासन
स्कूल शिक्षा विभाग